

भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक स. 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

Government of India,
Min. of Personnel, Public Grievances &
Pensions,
Department of Personnel and Training
Staff Selection Commission
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110003

(दिनांक 10-08-2022 को आयोग की वेबसाइट <https://ssc.nic.in> पर अपलोड किए जाने हेतु)

विज्ञप्ति

दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप-निरीक्षक परीक्षा, 2022

ऑनलाइन आवेदनों को जमा करने की तारीख	10.08.2022 से 30.08.2022
ऑनलाइन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख और समय	30.08.2022 (2300 बजे)
ऑफलाइन चालान तैयार करने के लिए अंतिम तारीख और समय	30.08.2022 (2300 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तारीख और समय	31.08.2022 (2300 बजे)
चालान के माध्यम से भुगतान करने की अंतिम तारीख (बैंक के कार्य समय के दौरान)	31.08.2022
'आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु विंडो' और सुधार राशि के ऑनलाईन भुगतान की तारीख	01.09.2022 (2300 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम	नवंबर, 2022

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है."

फा.सं. मु.- नी. व यो.-II 01/5/2022- नी. व यो.-II : कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (के.स.पु.ब.) में उप-निरीक्षकों (उ.नि.) की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों, हेड कांस्टेबलों और सहायक उप-निरीक्षकों में से विभागीय अभ्यर्थी जिनकी पैरा 5.1 पर दी गई निर्धारित तारीख को न्यूनतम सेवा तीन वर्ष हो और अधिकतम आयु 30 वर्ष (अपिव के लिए 33 वर्ष और अजा / अजजा के लिए 35 वर्ष) से अधिक न हो, वे भी उप-निरीक्षक(कार्यकारी)-पुरुष की खुली और विभागीय रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है:

- 1.1 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) : इस पद का वेतनमान स्तर-6 (35400-1,12,400/- रूपए) है और यह समूह 'ख' (अराजपत्रित), अननुसचिवीय के रूप में वर्गीकृत है।
- 1.2 दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक (कार्यकारी) - (पुरुष / महिला): इस पद का वेतनमान स्तर-6 (35400-1,12,400/- रूपए) है और यह दिल्ली पुलिस द्वारा समूह 'ग' (अराजपत्रित) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2. रिक्तियां :

दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक (कार्यकारी) - पुरुष

विवरण	अना.	अ.पि.व	अ.जा.	अ.ज.जा.	आ.क.व	कुल
खुली	79	42	24	12	23	180
भूतपूर्व सैनिक	06	03	02	02	0	13
भूतपूर्व सैनिक (विशेष श्रेणी)	06	03	01	02	0	12
विभागीय अभ्यर्थी	12	06	03	02	0	23
कुल	103	54	30	18	23	228

दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक (कार्यकारी)- महिला

विवरण	अना.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	आ.क.व.	कुल
खुली	51	27	15	08	11	112

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (के.स.पु.ब.) में उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी)

केसपुब	लिंग	अना	आ.क.व	अ.पि.व	अ. जा.	अ.ज. जा.	कुल	योग	भूपसै @10%
सी.सु.ब.	पु.	133	20	104	58	21	336	353	35
	म.	07	01	05	03	01	17		
के.औ.सु.ब	पु.	33	07	21	11	05	77	86	09
	म.	04	01	02	01	01	09		
के.रि.पु.ब	पु.	1217	301	812	450	226	3006	311 2	311
	म.	43	10	29	16	08	106		
भा.ति.सी.पु	पु.	66	14	51	22	09	162	191	19
	म.	12	02	09	04	02	29		
स.सी.ब.	पु.	65	21	56	44	24	210	218	21
	म.	03	0	01	02	02	08		
कुल	पु.	1514	363	1044	585	285	3791	396 0	395
	म.	69	14	46	26	14	169		

2.1. के.स.पु.ब. में उपनिरीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए चुने गए अभ्यर्थी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

3. पदों का आरक्षण और उपयुक्तता :

- 3.1 अनुसूचित जाति (अ.जा) / अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) / अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (आ.पि.व.) आदि के लिए आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार मांगकर्ता मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों द्वारा यथा निर्धारित एवं संप्रेषित है।
- 3.2 आयोग विभिन्न पदों के लिए संबंधित प्रयोक्ता विभागों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करता है। किसी भी प्रयोक्ता विभाग की रिक्तियों की संख्या तय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। आरक्षण नीति का क्रियान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव और विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण करना प्रयोक्ता विभागों के कार्यक्षेत्र में आता है।
- 3.3 दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण उपलब्ध है जिसका ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

3.3.1 भूतपूर्व सैनिकों के कोटे में से, 50 % ऐसा कोटा भूतपूर्व सैनिकों की निम्न श्रेणियों के लिए आरक्षित होगा:

3.3.1.1 विशेष बल /राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (विशेष कार्रवाई समूह), में सेवा की गई हो, या

3.3.1.2 कमांडो कोर्स में "अर्हक अनुदेशक" ग्रेडिंग प्राप्त की हो, या

3.3.1.3 नौसेना / वायुसेना के अधिकारी जिन्होंने विशेषीकृत कमांडो प्रकार की यूनिटों में काम किया हो ।

3.3.2 यदि बिंदु 3.3.1.1, 3.3.1.2 और 3.3.1.3 श्रेणियों में भूतपूर्व सैनिकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो न भरी गई रिक्तियां अन्य उपलब्ध पूर्वसैनिक अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

4. राष्ट्रीयता / नागरिकता : अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से होना चाहिए :

4.1 भारत का नागरिक, या

4.2 नेपाल की प्रजा, या

4.3 भूटान की प्रजा, या

4.4 बशर्ते कि उपरोक्त 4.2 और 4.3 श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

4.5 ऐसे अभ्यर्थी जिनके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा ।

5. आयु सीमा (दिनांक 01.01.2022 के अनुसार):

5.1 अभ्यर्थियों की आयु सीमा दिनांक 01.01.2022 को 20 से 25 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात (अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1997 से पहले और 01.01.2002 के बाद न हुआ हो) ।

5.2 आयु में छूट का दावा करने के लिए, उपर्युक्त पैरा 5.1 के तहत निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में अनुमत्य छूट और श्रेणी कोड निम्नानुसार होंगे :

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा में परे आयु में अनुमत्य छूट
01	अ.जा. / अ.ज.जा.	5 वर्ष
02	अ.पि.व.	3 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.)	अंतिम तारीख पर वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा घटाने के बाद 3 वर्ष ।

दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए (श्रेणी कोड -12 और 13)		
12	विधवाएं / तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो	35 वर्ष की आयु तक
13	विधवाएं / तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अ.जा. / अ.ज.जा.)	40 वर्ष की आयु तक
केवल दिल्ली पुलिस की रिक्तियों के लिए दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (श्रेणीकोड -17, 18 और 19)		
17	विभागीय अभ्यर्थी (अनारक्षित) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो ।	30 वर्ष की आयु तक
18	विभागीय अभ्यर्थी (अपिव) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	33 वर्ष की आयु तक
19	विभागीय अभ्यर्थी (अजा / अजजा) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो	35 वर्ष की आयु तक

- 5.3 आयोग द्वारा आयु के निर्धारण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई वही जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी जो मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्रों में दर्ज है और बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसे स्वीकार किया जाएगा।
- 5.4 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.जा.सं. 36034/1/2014-स्था (आर) में यथा-उल्लिखितानुसार वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा करता करता है / करती है / वचन देता है / वचन देती है।
- 5.5 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अपसर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

5.6 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद / सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसे का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि अर्थात् **30.08.2022** से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए।

5.7 एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौ सेना या वायु सेना में तदनुसूची प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को संघ की सशस्त्र सेनाओं में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की है, उसे दिल्ली पुलिस में उपनिरीक्षक के समूह 'ग' पदों में भूपूसे के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु पात्र समझा जाएगा। इसलिए, जिन गैर स्नातक भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, वे किसी भी पद के लिए पात्र नहीं हैं।

5.8 **स्पष्टीकरण :** भूपूसे से आशय उस व्यक्ति से है-

5.8.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(i) जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवानिवृत्त या निर्मुक्त या सेवा मुक्त किया गया हो, या

(ii) जिसे सैनिक सेवा / अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा या अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो, या

(iii) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो,

या

5.8.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः निरंतर मूर्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी भी शामिल हैं;

अथवा

5.8.3 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अशक्त होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है;

अथवा

5.8.4 ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे;

अथवा

5.8.5 प्रांतीय सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र सेनाओंके वीरता पुरस्कार विजेता;

अथवा

5.8.6 भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

5.9 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र व पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट अनुमत्य नहीं है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

6. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

- 6.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सूचीबद्ध परन्तु केंद्रीय सूची में शामिल न किए गए अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा जारी अ.पि.व. प्रमाण-पत्र केवल आरक्षण और आयु में छूट के प्रयोजनार्थ दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए ही स्वीकार किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को दिल्ली पुलिस में केवल उप निरीक्षक के पद के लिए अ.पि.व. और अन्य सभी पदों के लिए अनारक्षित के रूप में माना जाएगा।
- 6.2 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें संबंधित मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय इन प्रमाणपत्रों के मांगे जाने पर निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अजा / अजजा / अपिव / आपिव / भूपूसै श्रेणी के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दि जाएगी। प्रमाणपत्रों के प्रारूप संलग्न हैं। किसी अन्य प्रारूप में दिए गए प्रमाणपत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- 6.3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति या समुदाय का प्रमाणपत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है/आती है। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि, आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् 30.08.2022 होगी।

- 6.4 अभ्यर्थी उपर्युक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति अधिकारी द्वारा शैक्षिक योग्यता, जाति /श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों की यथा-तथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती है और उन्हें संतोषजनक नहीं पाया जाता है। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा / अजजा / अपिव / आकव / भूपूसै / दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी आदि होने का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें वारित कर दिया जाएगा ।
- .65 अजा / अजजा / अपिव / आकव आदि से संबंधित होने का दावा करने या कोई लाभ, जैसे शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि लेने हेतु निर्णायक तिथि, जहां अन्यथा उसका उल्लेख नहीं किया गया हो, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 30.08.2022 होगी।

7. शैक्षिक योग्यता (दिनांक 30.08.2022 को):

- 7.1 सभी पदों के लिए शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष है ।
- 7.2 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी आधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी आधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान किए गए प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते कि उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तदनुसार, यदि ऐसी डिग्री को उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता नहीं दी गई है जब अभ्यर्थियों द्वारा वह योग्यता हासिल की गई हो, तो शैक्षिक योग्यता के उद्देश्य के लिए उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- 7.3 इसके अतिरिक्त भारत के राजपत्र में दिनांक 23.06.2017-को प्रकाशित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम) विनियम, 2017 के भाग-III (8) (v) के अनुसार मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम माध्यम से अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, औषध विज्ञान, वास्तुकला और भौतिक चिकित्सा के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं है। तथापि, बी.टेक डिग्री / अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, जो इग्नू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित छात्रों को प्रदान किया गया था, जहाँ कहीं भी लागू हो, उसे मान्य माना जाएगा।
- 7.4 जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है, परन्तु शैक्षिक योग्यता हासिल कर लेंगे और दिनांक 30-08-2022 की स्थिति के अनुसार इसके समर्थन में बोर्ड / विश्वविद्यालय से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे, वे भी पात्र होंगे ।

7.5 सभी अभ्यर्थी जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शा.क्ष.प. / शा.मा.प. और चिकित्सा परीक्षा में आयोग द्वारा योग्य घोषित किए गए हैं, उन्हें दिनांक **30.08.2022** को या उससे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में सभी प्रासंगिक प्रमाणपत्र, जैसे-अंक तालिका / प्रोविजनल डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विफल होने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि शैक्षिक अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा। यह दोहराया जाता है कि बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तारीख तक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण कट-ऑफ तारीख तक परिणाम को तैयार किए जाने मात्र से शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता पूरी नहीं होती है।

7.6 समकक्ष शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी दस्तावेज़ सत्यापन के समय संबंधित प्राधिकारियों का प्रासंगिक समकक्षता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेंगे। हालांकि, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के बारे में अंतिम निर्णय संबंधित प्रयोक्ता विभागों / नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा लिया जाएगा।

7.7 **केवल दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए** : शारीरिक क्षमता परीक्षा और माप परीक्षा के लिए निर्धारित तारीख पर पुरुष अभ्यर्थियों के पास एलएमवी (मोटरसाइकिल और कार) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तथापि, जिन अभ्यर्थियों के पास एलएमवी (मोटरसाइकिल और कार) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वे के.स.पु.ब. के अन्य सभी पदों के लिए पात्र हैं।

8. आवेदन कैसे करें :

8.1 आवेदनपत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <https://ssc.nic.in> पर जमा करने होंगे। विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के **अनुलग्नक- I** और **अनुलग्नक- II** का अवलोकन करें। एक बारगी पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदन का नमूना प्रोफार्मा **अनुलग्नक-I क** और **अनुलग्नक-II क** के रूप में संलग्न हैं।

8.2 ऑनलाइन आवेदनपत्र में अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए गए हाल ही के रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए! फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए।

8.3 यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। फोटोग्राफ के स्वीकार्य/अस्वीकार्य नमूने **अनुबंध-XI** में दिए गए हैं।

- 8.4. जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अस्पष्ट / धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 8.5. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 30.08.2022 (2300 बजे) है।
- 8.6. अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमाकर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।
- 8.7. आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।
- 8.8. ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदन के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है।
- 9. आवेदन शुल्क :**
- 9.1. देय शुल्क: 100 / - रुपये (मात्र एक सौ रुपए)।
- 9.2. महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।
- 9.3. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करके एसबीआई चालान बनवा कर किया जा सकता है ।
- 9.4. अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान दिनांक-31.08.2022 (2300 बजे) तक कर सकते हैं। तथापि वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे **31.08.2022** तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने दिनांक **30.08.2022 (2300 बजे)** तक चालान बनवा लिया है।
- 9.5. निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा । इस तरह के निरस्तीकरण पर कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 9.6. जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदनपत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी । इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए 'भुगतान की स्थिति' लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर

निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.7 एक बार भुगतान किया गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

10. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [01.09.2022 (23:00 बजे)]:

10.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन संबंधी मापदंडों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 01 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

10.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात् यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

10.4 नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

10.5 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की

एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो ।

- 10.6 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपये क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
- 10.7 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 10.8 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैंक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

11. परीक्षा केंद्र :

- 11.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदनपत्र में केंद्र (केंद्रों) को इंगित करना होगा जिसमें वह परीक्षा देना चाहता/चाहती है । परीक्षा केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों जिनके अंतर्गत ये परीक्षा केंद्र स्थित हैं, के विवरण इस प्रकार हैं:

क्र.स.	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य/संघ शासित राज्य	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते/वेबसाइट
1	2	3	4
1	आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010),	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.) / बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.) , कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग,

	मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013), भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्णिया (3209)।		सिविल लाइंस, केन्द्रीय सदन, प्रयागराज - 211001 (http://www.ssc-cr.org)
2	पोर्ट ब्लेयर (4802), रांची (4205), भुवनेश्वर (4604), कोलकाता (4410)।	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8 वीं मंजिल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700020 (www.sscer.org)
3	बेंगलुरु (9001), बेलगावी (9002), हुबली (9011), कलाबुरगी (गुलबर्गा) (9005), मंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोग्गा (9010), उडुपी (9012), तिरुवनंतपुरम (9211), कन्नूर (9202), कोल्लम (9210), कोट्टायम (9205), कोझीकोड (9206) त्रिशूर (9212)।	कर्नाटक केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (केकेआर), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक - 560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
4	दिल्ली एनसीआर (2201), अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), उदयपुर (2409), सीकर (2411), देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003), रुड़की (2006)	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 (www.sscnr.net.in)
5	ईटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107),	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो. क्षे.) /	क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वो. क्षे.),

	सिलचर (5111), तेजपुर (5112), कोहिमा (5302), शिलांग (5401), इम्फाल (5501), चुराचंदपुर (5502), अग्रतला (5601), आइजवाल (5701) ।	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ।	कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट, बेलटोला-बसिस्ता रोड, पीओ असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम -781006 www.sscner.org.in
6	गुंटूर (8001), कुरनूल (8003), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विशाखापत्तनम (8007), विजयवाड़ा (8008), काकीनाडा (8009), नेल्लोर (8010), चिराला (8011), विजियानगरम (8012), चेन्नई (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सलेम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेल्वेलि (8207), वेल्लोर (8208), पुडुचेरी (8401), हैदराबाद(8601), वारांगल (8603), कारीमनगर (8604)।	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.) / आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरी मंजिल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैम्पस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 www.sscsr.gov.in
7	अहमदाबाद (7001), वडोदरा (7002), राजकोट (7006), सूरत (7007), मुंबई (7204), पुणे (7208), अमरावती (7201) नागपुर (7205), औरंगाबाद (7202), कोल्हापुर (7203), पणजी (7801)।	पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.) / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.) , कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, साउथ विंग, प्रतिष्ठान भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400020 www.sscwr.net

8	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204) दुर्ग-भिलाई (6205)	मध्य प्रदेश उप क्षेत्र (म.प्र.क्षे.) छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	उप निदेशक (म.प्र.क्षे.) , कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कॉम्प्लेक्स, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 (www.sscmpr.org)
9	जम्मू (1004), लेह (1005), श्रीनगर (1007), सांबा (1010), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जालंधर (1402), अमृतसर (1404), मोहाली (1406), चंडीगढ़ (1601)।	पश्चिमोत्तर क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पंजाब	क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमो.क्षे.) , कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, केन्द्रीय सदन, सेक्टर - 9, चंडीगढ़ 160009 (www.sscnwr.org)

11.2 अभ्यर्थी को एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों का विकल्प देना होगा। किसी भी परिस्थिति में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।

11.3 आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग के पास किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार भी सुरक्षित है।

12. परीक्षा की रूप रेखा:

12.1 परीक्षा में पेपर- I, शारीरिक मानक परीक्षा (शा.मा.प.) / शारीरिक क्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प.) , पेपर- II और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (वि.चि.प.) शामिल होंगे। परीक्षा के ये सभी चरण अनिवार्य हैं। इन पेपरों/परीक्षणों का विवरण निम्नानुसार है:

पेपर - I:

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि
I	सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति	50	50	2 घंटे
II	सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी	50	50	
III	परिमाणात्मक अभिरुचि	50	50	
IV	अंग्रेजी परिज्ञान	50	50	

पेपर II:

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि
अंग्रेजी भाषा और परिज्ञान	200	200	2 घंटे

- 12.2 दोनों पेपर में प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। पेपर- I के भाग- I, II और III में प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में दिए जाएंगे। पेपर- I और पेपर- II में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें।
- 12.3 अभ्यर्थियों द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को आयोग द्वारा दिनांक 07-02-2019 की सूचना सं. 1-1/2018-नी. एवं यो.-I में प्रकाशित सूत्र का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा और इस तरह के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ अंकों को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।
- 12.4 परीक्षा के उपरांत अनंतिम कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थी उत्तरकुंजियों को देखें और यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो केवल ऑनलाइन मोड में प्रति प्रश्न 100 रुपए भुगतान करके जोकि वापस नहीं किए जाएंगे, अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं। उत्तर कुंजी अपलोड करते समय आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर कुंजी के बारे में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन की उत्तर कुंजियों को

अंतिम रूप दिए जाने से पहले संवीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। बाद में उत्तर कुंजियों के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- 12.5 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) प्रमाणपत्र (30.08.2022 के अनुसार) धारकों को पेपर-1 और पेपर-II में बोनस अंक दिए जाएंगे, जिन्हें निम्नलिखित स्कीम के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी के सामान्यीकृत अंकों में जोड़ा जाएगा:

क्रम सं	एनसीसी प्रमाणपत्र का प्रकार	प्रत्येक पेपर में बोनस अंक (पेपर-I और पेपर-II)
1	एनसीसी 'सी' प्रमाण पत्र	10 अंक (अधिकतम अंक का 5%)
2	एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र	6 अंक (अधिकतम अंक का 3%)
3	एनसीसी 'ए' प्रमाण पत्र	4 अंक (अधिकतम अंक का 2%)

- 12.6 नोटिस में दी गई परीक्षाओं की तारीखें अनंतिम हैं। परीक्षाओं की अनुसूची में कोई भी बदलाव केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा।
- 12.7 अंकों के पुनर्मूल्यांकन / पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 12.8 कंप्यूटर आधारित मोड परीक्षा के लिए सांकेतिक पाठ्यक्रम :

12.8.1 पेपर - I

12.8.1.1 सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति: इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक आभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, विवेक आधारित अनुमान, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रंखला, गैर शाब्दिक श्रंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायबद्ध आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इसमें विषय हैं : सेमेंटिक सादृश्यता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आकृति संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, सीमेंटिक समानता, अंक समानता, आंकड़े संबंधी समानता, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संचालन, प्रतीकात्मक संचालन, उपनति, अन्तराल आभिविन्यास, अन्तराल विज्यूलैजेशन, वेन डाइग्राम, रेखचित्र अनुमिति, पंच होल/पैटर्न फोल्डिंग एवं अनफोल्डिंग, अंकीय पैटर्न फोल्डिंग एवं पूर्ण करना, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केंद्र कोड/अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे

व बड़े अक्षर/अंक कोडिंग, डिकोडिंग और वर्गीकरण, अंतस्थापित आंकड़े, आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता आदि।

12.8.1.2 **सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता :** इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

12.8.1.3 **परिमाणात्मक अभिरूचि:** इसमें प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा। इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन, दशमलव, खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबंधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ, त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चतुर्भुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज समकोणीय पिरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक पहचान, पूरक कोण, ऊँचाई और दूरियाँ, हिस्टोग्राम, बारंबारता बहुभुज, बार आरेख और पाई चार्ट आदि से संबंधित प्रश्न होंगे।

12.8.1.4 **अंग्रेजी परिज्ञान:** इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की समझ, उसके सही प्रयोग, उसके लेखन की योग्यता और परिज्ञान को जांचा जाएगा।।

12.8.2 पेपर-II

12.8.2.1 **अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान :** इस घटक में अभ्यर्थी के अंग्रेजी भाषा की समझ और जानकारी की जांच के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे जो कि गलती की पहचान, रिक्त स्थानों की पूर्ति (क्रिया, पूर्वसर्ग, आर्टिकल्स आदि का प्रयोग करके), शब्द कोश,

वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विलोम, वाक्य पूर्णता, वाक्यांश और शब्दों का उक्ति रूप में और मुहावरेदार प्रयोग, बोधगम्यता आदि से संबंधित होंगे।

12.9 शारीरिक मानक परीक्षण (शा.मा.प.) और शारीरिक क्षमता परीक्षण (शा.क्ष.प.) :

12.9.1 शारीरिक मानक परीक्षण (सभी पदों के लिए):

क्रम सं.	अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊंचाई (सेमी में)	सीना (सेमी में)	
			बिना फुलाए	फुलाकर
(i)	क्रम सं. (ii) और (iii) में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को छोड़कर पुरुष अभ्यर्थी	170	80	85
(ii)	गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, गोरखाओं, डोगरा, मराठों, कश्मीर घाटी, जम्मू और कश्मीर के लेह एवं लद्दाख क्षेत्रों , पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम से संबंधित अभ्यर्थी।	165	80	85
(iii)	अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी	162.5	77	82
(iv)	क्रम सं. (v) और (vi) में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को छोड़कर महिला अभ्यर्थी	157	--	--
(v)	गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, गोरखाओं, डोगरा, मराठों, कश्मीर घाटी, जम्मू और कश्मीर के लेह एवं लद्दाख क्षेत्रों , पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम से संबंधित महिला अभ्यर्थी।	155	--	--
(vi)	अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी महिला अभ्यर्थी	154	--	--

12.9.2 **वजन** : ऊंचाई के अनुरूप (सभी पदों के लिए)।

12.9.3 **शारीरिक क्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प.) (सभी पदों के लिए) :**

12.10.3.1 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए:

- 12.9.3.1.1 16 सेकंड में 100 मीटर की दौड़
- 12.9.3.1.2 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़
- 12.9.3.1.3 लंबी कूद : 3 बार में 3.65 मीटर
- 12.9.3.1.4 ऊंची कूद : 3 बार में 1.2 मीटर
- 12.9.3.1.5 शॉट पुट (16 पाउंड): 3 बार में 4.5 मीटर

12.9.3.2 महिला अभ्यर्थियों के लिए :

- 12.9.3.2.1 18 सेकंड में 100 मीटर की दौड़
- 12.9.3.2.2 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़
- 12.9.3.2.3 लंबी कूद: 3 अवसरों में 2.7 मीटर
- 12.9.3.2.4 ऊंची कूद : 3 अवसरों में 0.9 मीटर

12.9.4 महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं होगी ।

12.9.5 यथा-उल्लिखित ऊंचाई और सीने की माप में छूट (जैसा भी मामला हो), केवल उस जिले के सक्षम प्राधिकारी, जंहा वे रहते हैं, का प्रमाणपत्र **अनुलग्नक- VIII** में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत करने पर ही अनुमेय होगा ।

12.9.6 दिल्ली पुलिस के लिए प्रारंभिक नियुक्ति के समय शारीरिक मानकों (ऊंचाई/सीना) में एक बार दी गए छूट तब तक वैध रहेगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति विशेष दिल्ली पुलिस में रहता है।

12.9.7 जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों अर्थात ऊंचाई और सीने की माप में योग्य घोषित नहीं किया गया है , यदि चाहें तो वे यदि शा.मा.प./शा.क्ष.प. स्थल पर उपस्थित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं । अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई और अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12.9.8 शा.मा.प./शा.क्ष.प. का कोई अंक नहीं लेगा, परन्तु यह लेकिन योग्यता/छंटनी प्रकृति का होगा।

12.9.9 इन पदों के लिए आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को शा.क्ष.प. से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। तथापि सभी भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी

और इन निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा। उन्हें सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को भी पास करना चाहिए।

12.10 चिकित्सा मानक (सभी पदों के लिए):

12.10.1 चिकित्सा परीक्षा: वे सभी अभ्यर्थी जो पेपर- II में अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी चिकित्सा जांच के.स.पु.ब. के चिकित्सा अधिकारी या केंद्र / राज्य सरकार के अस्पताल या औषधालय के किसी अन्य ग्रेड-1 चिकित्सा अधिकारी या सहायक सर्जन द्वारा की जाएगी। जो अभ्यर्थी अयोग्य पाए जाते हैं, उन्हें उनकी स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा और वे 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील कर सकते हैं। पुनर्चिकित्सा बोर्ड / समीक्षा चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और पुनर्चिकित्सा बोर्ड / समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के निर्णय के खिलाफ कोई अपील/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12.10.2 नेत्र दृष्टि : निकट दृष्टि न्यूनतम एन6 (बेहतर दृष्टि) और एन9 (खराब दृष्टि) होनी चाहिए। किसी भी सुधार, जैसे - दृश्य तीक्ष्णता में सुधार के लिए चश्मे का प्रयोग या किसी भी तरह की सर्जरी, के बिना दोनों आँखों की न्यूनतम दूर दृष्टि 6/6 (बेहतर दृष्टि) और 6/9 (खराब दृष्टि) होनी चाहिए । दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में दाईं आंख की बेहतर दृष्टि होती है और बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के लिए बाईं आंख बेहतर दृष्टि है।

12.10.3 अभ्यर्थी के भीतर की ओर मुड़े घुटने, सपाट पैर, वैरिकोज़ नस या भेंगापन नहीं होना चाहिए और उनकी रंग विभेद दृष्टि उच्च कोटि की होनी चाहिए।

12.10.4 उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उनके कर्तव्य के प्रभावी निष्पादन में बाधा होने की संभावना हो।

12.11 अंत में, उप-निरीक्षक के पदों के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में, नीचे वर्णित सात बाधाओं को पास करना होगा, जिसमें विफल रहने पर उन्हें बल में नहीं रखा जा सकता है :

12.11.1 उर्ध्वाधर बोर्ड के ऊपर से कूदना ।

12.11.2 बोर्ड से कूदते हुए रस्सी पकड़ना ।

12.11.3 टार्ज़न स्विंग ।

- 12.11.4 क्षैतिज बोर्ड पर कूदना ।
- 12.11.5 समानांतर रस्सी ।
- 12.11.6 बंदर की तरह सरकना (मंकी क्रॉल)
- 12.11.7 उर्ध्वाधर रस्सी ।

12.12 **टैटू:** टैटू की अनुमति केवल निम्नलिखित शर्तों के अनुसार दी जाएगी:

12.12.1 **सामग्री:** धार्मिक प्रतीक या चित्र और नाम का चित्रण करने वाले टैटू, जैसा कि भारतीय सेना में अनुपालन किया जाता है, अनुमत्य है ।

12.12.2 **स्थान:** शरीर के पारंपरिक अंगों पर बने टैटू अनुमत्य हैं, जैसे- बाजू के अग्र भाग पर भीतरी ओर, परन्तु केवल बांयी बाजू पर, क्योंकि इससे सैल्यूट नहीं दिया जाता और यह हाथ का पृष्ठ भाग है।

12.12.3 **आकार:** शरीर के उस विशेष भाग (कोहनी या हाथ) के ¼ भाग से कम होना चाहिए।

13. परीक्षा में प्रवेश

13.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (पेपर-1) में बैठने हेतु रोल नंबर और प्रवेश-पत्र (एसी) दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

2.13 आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद (पदों) के लिए पात्र उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/ दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर्ता/ प्रयोक्ता विभागों/ संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आयोग द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाण पत्र/शै.यो./जाति/श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। शै.यो./जाति/श्रेणी आदि के प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

13.3 परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र संबंधित क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए

जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

13.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक आयोग की वेबसाइट पर अपने ब्योरे की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/ उपक्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

13.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

13.6 प्रवेश-पत्र डाऊनलोड करने की सुविधा परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

13.7 प्रवेश-पत्र के अलावा, अभ्यर्थी को हाल के दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, प्रवेश-पत्र पर छपी जन्म-तिथि के प्रमाण के लिए फोटो लगा कम से कम एक पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना होगा, जैसे-

13.7.1 आधार कार्ड/ ई-आधार का प्रिंट आउट

13.7.2 मतदाता पहचान-पत्र कार्ड

13.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस

13.7.4 पैन कार्ड

13.7.5 पासपोर्ट

13.7.6 विद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र

13.7.7 नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी/उपक्रम/निजी)

13.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा पंजिका

13.7.9 केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र

13.8 यदि फोटो पहचान-पत्र में जन्मतिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र से संबंधित एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र (अर्थात सीबीएससी / आईईसीएसई / राज्य बोर्ड द्वारा जारी मेट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, अंक पत्र, जन्म प्रमाणपत्र श्रेणी संबंधी प्रमाणपत्र) मूल रूप में लाना होगा ।

प्रवेशपत्र में अंकित जन्म तिथि और जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर लाये गए फोटो प्रमाणपत्र / प्रमाणपत्र में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा ।

13.9 परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेशपत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज़ भी अभ्यर्थी को अपने साथ लाना होगा ।

13.10 धुंधला फोटोग्राफ और या हस्ताक्षर युक्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

14. दस्तावेज सत्यापन : मिशन मोड में सरकार द्वारा की जाने वाली भर्तियों को देखते हुए और पूरी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, आयोग ने निर्णय लिया है कि दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) इंडेंटिंग / प्रयोक्ता विभागों द्वारा किया जाएगा।

14.1 दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हक सभी अभ्यर्थियों को पैरा सं. 14.5 में किए गए उल्लेखानुसार मूल दस्तावेजों और उनकी छाया प्रतियों के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

14.2 दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को वरीयता के क्रम में उन पदों / बलों का उल्लेख करना चाहिए जिनका उन्होंने विकल्प दिया है। विभिन्न पदों/ बलों का उनके कोड सहित ब्योरा निम्नानुसार है:

14.2.1 दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक (ए)

14.2.2 सीमा सुरक्षा बल में उप-निरीक्षक (बी)

14.2.3 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उप-निरीक्षक (सी)

14.2.4 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप-निरीक्षक (डी)

14.2.5 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में उप-निरीक्षक (ई)

14.2.6 सशस्त्र सीमा बल में उप-निरीक्षक (एफ)

14.3 अभ्यर्थियों द्वारा एक बार चुने गए विकल्प / वरीयता को अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा पद/बल में परिवर्तन करने के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने पद/बल के लिए विकल्प नहीं चुना है, तो उसके नाम पर उसकी योग्यता स्थिति के बावजूद इस तरह के पद के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को अपनी पद वरीयताएं देते समय बहुत उचित तत्परता और सावधानी बरतनी चाहिए।

14.4 अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय दो पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा। फोटो पहचानपत्र निम्नलिखित हो सकता है:

- 14.4.1 आधार कार्ड/ ई आधार का प्रिंटआउट।
- 14.4.2 वोटर आईडी कार्ड
- 14.4.3 पैन कार्ड
- 14.4.4 पासपोर्ट
- 14.4.5 ड्राइविंग लाइसेंस
- 14.4.6 विद्यालय / कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र
- 14.4.7 नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम)
- 14.4.8 केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कोई अन्य फोटोयुक्त पहचानपत्र

14.5 अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होंगी जैसे:

- 14.5.1 मैट्रिक / मध्यमिक प्रमाणपत्र
- 14.5.2 शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- 14.5.3 यदि अभ्यर्थी किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता होने का दावा करता है, तो अनिवार्य अर्हता में समकक्ष खंड के संबंध में प्राधिकारी का उल्लेख करते हुए दावा की गई समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आदेश / पत्र (संख्या और तारीख के साथ) जिसके तहत इसे ऐसा माना गया है।
- 14.5.4 जाति / श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है
- 14.5.5 उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए वरीयता दी है, **मोटर साइकिल और कार का ड्राइविंग लाइसेंस (शा.क्ष.प./शा.मा.प. की तारीख से पहले जारी) (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लागू)।**
- 14.5.6 **भूतपूर्व सैनिकों के लिए (भू.पू.सै.):**
 - .145.6.1 **अनुलग्नक -IV** के अनुसार वचनबंध।
 - .145.6.2 यदि लागू हो, तो **अनुलग्नक-III** के अनुसार रक्षा कार्मिक सेवारत होने का प्रमाण पत्र।
 - .145.6.3 सेवा निवृत्ति का प्रमाणपत्र, अगर सशस्त्र बलों से छुट्टी दी जाती है।
 - .145.6.4 पैरा 3.3.1 पर सूचीबद्ध भूतपूर्व सैनिकों की विशिष्ट श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी इसकी पुष्टि में प्रमाणपत्र / दस्तावेजी साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करें।

- .145.7 प्रासंगिक प्रमाण पत्र यदि आयु में किसी छूट की मांग करता है।
- .145.8 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा अनुलग्नक-IX के अनुसार प्रमाण पत्र ।
- .145.9 यदि पहले से ही सरकारी उपक्रमों में नियोजित हैं, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
- .145.10 यदि कोई अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन करने का दावा करता है तो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:
- 14.5.10.1 महिला की शादी के मामले में :- पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रति या शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा ।
- 14.5.10.2 महिला की दूसरी शादी के मामले में :- तलाकनामा/ या पहले पति की अगर मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु प्रमाण-पत्र और वर्तमान पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रति या शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा ।
- 14.5.10.3 महिला के तलाक के मामले में :- तलाकनामे की प्रमाणित-प्रति और एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा।
- 14.5.10.4 दूसरी परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के नाम परिवर्तन के लिए :- एक पक्षीय विलेख / शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा और दो प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित अखबार की मूल कटिंग (एक दैनिक अखबार अभ्यर्थी के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र की होनी चाहिए।) या गज़ट अधिसूचना।
- 14.5.11 दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रवेशपत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज।

15 चयन का तरीका :

- 15.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (प्रश्नपत्र-1) में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए

जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं।

15.2 परीक्षा के सभी स्तरों के लिए प्रवेश-पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों जिनके अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र स्थित हैं, की वेबसाइटें देखने की सलाह दी जाती है (विवरण पैरा-11.1 पर)।

15.3 पेपर-I और पेपर-II में न्यूनतम अर्हक अंक (एनसीसी प्रमाण-पत्र और/ या आरआरयू प्रमाणपत्र धारक को बोनस अंक जोड़े बिना) निम्नानुसार हैं:-

15.3.1	अना.	:	30%
15.3.2	अपिव/आकव	:	25%
15.3.3	अन्य सभी वर्ग	:	20%

15.4 अभ्यर्थी पेपर-I (एनसीसी प्रमाण-पत्र और / या आरआरयू प्रमाण-पत्र धारकों के मामले में बोनस अंकों को जोड़कर)में अपने प्रदर्शन के आधार शा.क्ष.प./शा.मा.प. परीक्षा में भाग लेने के लिए शार्टलिस्ट किए जाएंगे। आयोग को अन्य के साथ-साथ श्रेणीवार रिक्तियों और अभ्यर्थियों की श्रेणीवार संख्या का ध्यान रखते हुए प्रश्नपत्र-I के प्रत्येक भाग में विभिन्न न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने का अधिकार होगा।

15.5 शा.क्ष.प./शा.मा.प. अनिवार्य लेकिन अर्हक प्रकार के हैं। भूतपूर्व सैनिकों को शा.क्ष.प. देने की जरूरत नहीं है।

15.6 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र-II परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने शा.क्ष.प./शा.मा.प. परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है।

15.7 अभ्यर्थियों को पेपर-I और पेपर-II (एनसीसी प्रमाण-पत्र और / या आरआरयू प्रमाण-पत्र धारकों के मामलों में बोनस अंकों को जोड़कर) में उनके प्रदर्शन के आधार पर चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने हेतु शार्टलिस्ट किया जाएगा।

15.8 **पदों के लिए वरीयता** : दस्तावेज़ सत्यापन के समय, अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में उस पद(पदों)/बल(बलों) का नाम दर्शाना अपेक्षित है जिससे कि वरीयता क्रम में

उसके नाम पर विचार किया जा सके। विभिन्न पदों/ बलों का ब्योरा उनके कोड सहित निम्नानुसार हैं:

- 15.8.1 दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक (ए)
- 15.8.2 सीमा सुरक्षा बल में उप निरीक्षक (बी)
- 15.8.3 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उप निरीक्षक (सी)
- 15.8.4 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप निरीक्षक (डी)
- 15.8.5 भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में उप निरीक्षक (ई)
- 15.8.6 सशस्त्र सीमा बल में उप-निरीक्षक (एफ)

15.9 अभ्यर्थियों द्वारा वरीयता के आधार पर पद(पदों) / बल (बलों) के लिए एक बार दिए गए विकल्प / वरीयता को अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा पद / बल में परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों में विचार नहीं किया जाएगा ।

15.10 अभ्यर्थियों को केवल उन पदों के चयन पर विचार किया जाएगा जिनका विकल्प उनके द्वारा वरीयता में दिया गया है। यदि अभ्यर्थी ने किसी पद/ बल के लिए विकल्प नहीं दिया है तो मेरिट में स्थिति चाहे जो भी हो उनके नाम पर उस पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को पदों की वरीयता देने के पूर्व यथेष्ट तत्परता बरतनी चाहिए।

15.11 अभ्यर्थियों द्वारा पेपर-I और पेपर-II (एनसीसी प्रमाण-पत्र और / या आरआरयू प्रमाण-पत्र धारकों के मामले में बोनस अंकों को जोड़कर) में प्राप्त किए गए समग्र अंकों के आधार पर अंतिम चयन और पद / बल का आबंटन किया जाएगा तथा दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा दी गई पदों / बलों की वरीयता के आधार पर किया जाएगा ।

15.12 अभ्यर्थी को उनके मेरिट के अनुसार एक बार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके नाम पर अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को पदों / बल की वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है ।

15.13 विभागीय अभ्यर्थियों के लिए, दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, और सहायक उप-निरीक्षक में से, दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक की सीधी भर्ती दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती), नियम 1980 (वर्ष, 2013 और 2018 में संशोधित) के नियम-7 और 27-क तथा स्थायी आदेश संख्या 321/2013 के अनुसार की जाएगी। केवल उन

अभ्यर्थियों को "दिल्ली पुलिस का विभागीय अभ्यर्थी" माना जाएगा जो अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में इस स्थिति को दर्शाएंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा होने के पश्चात, विभागीय अभ्यर्थियों के स्थिति परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15.14 दिल्ली पुलिस द्वारा, दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों को मान्य आयु छूट प्रदान करके पहले उप निरीक्षक (कार्यकारी), दिल्ली पुलिस के खुली रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा और उसके पश्चात विभागीय रिक्तियों के लिए।

15.15 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों के साथ दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक परीक्षा, 2022 की सामान्य कंप्यूटर आधारित परीक्षा (पेपर-I एवं पेपर-II), शा.क्ष.प./शा.मा.प., चिकित्सा परीक्षा में शामिल होंगे। तथापि विभागीय रिक्तियों के अंतिम परिणाम की प्रक्रिया, आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर, दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी।

15.16 अजा, अजजा, अपिव, ईडब्लूएस और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी जो मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र मेरिट स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट की गई रिक्तियों के अनुसार पद की अनारक्षित रिक्तियों में, जो उनके लिए लाभप्रद हो, में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव, ईडब्लूएस और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

15.17 अजा, अजजा, अपिव, ईडब्लूएस और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, चाहे योग्यता सूची में उनका स्थान कुछ भी हो, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि सामान्य रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है। जहां तक भूपूँस के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूँस

को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं माना जाएगा ।

15.18 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

15.19 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने के अध्यक्षीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

15.20 इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण अथवा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसके लिए निर्धारित की गई हों। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर यदि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, तो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इन पदों पर स्थायी किए जाने हेतु पुष्टि की जाएगी।

15.21 यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण किसी कारण से तदनंतर टियर/स्तर में कट ऑफ अंकों से अधिक अंक स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए ।

15.22 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए ।

15.23 सभी पद (दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक को छोड़कर) अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।

16. बराबरी के मामलों का निपटारा

उन मामलों में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी प्रश्नपत्र -I तथा प्रश्नपत्र-II में एक समान कुल अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-

16.1.1 प्रश्नपत्र -II में कुल अंकों को देखकर ।

16.1.2 जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।

16.1.3 अभ्यर्थियों के नामों के वर्णानुक्रम को देखकर ।

17. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.जा.39020/1/2016-स्था(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर या नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस), श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा: (i) अभ्यर्थी का नाम, (ii) पिता/पति का नाम, (iii) जन्म तिथि, (iv) श्रेणी (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भू.पू.सै), (v) अभ्यर्थी का लिंग, (vi) शैक्षिक योग्यता, (vii) अर्हक परीक्षा में कुल प्राप्तांक, (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है, (ix) पूरा पता, (x) ई-मेल, तथापि अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करने का विकल्प होगा। तदनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने आयोग की वेबसाइट पर उपरोक्त ब्योरा प्रकट करने का विकल्प दिया है।

18. आयोग का निर्णय अंतिम: पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, चयन और पद/संगठन के आबंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. **कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:**

19.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी स्तर पर निम्नलिखित में किसी भी कदाचार के दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीट लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचना के परीक्षा स्थल से बाहर जाना ।	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए / उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत, करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	‘स्विच ऑन’ या ‘स्विच ऑफ’ मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचनाओं/ उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्रों/ हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेयास्त्रों/ हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना/ धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसेकागज या शारीरिक अंगों - आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष

19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयरवैन/लैन/एप/ इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षातोड़ करने की कोशिश करना।-प्रणाली को हैक करने या जोड़-	7 वर्ष

19.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फॉरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

20. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय न्यायाधिकरण के/ अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय क्षेत्रीय-उप/ कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

21. **अयोग्यता:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

22. **अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश**

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
(ख)	अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनतालॉगइन/ करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
(ग)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (दों) के लिए पात्र हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति / श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाणपत्र / दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर्ता / प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आयोग द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाणपत्र / शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(घ)	अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव वर्ग के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(ङ)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए। सामान्यतः आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है।
(च)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(छ)	अपाठ्य /धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
(ज)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
(झ)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में हाल ही के दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और फोटो लगा एक पहचान साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूपूसै की सेवा निवृत्ति पंजिका या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचानपत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र लाना होगा।
(ञ)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(ट)	सभी पद (दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक को छोड़कर) अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(ठ)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।
(ड)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(ढ)	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा भू.पू.सै. से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क

	का भुगतान करने से छूट प्राप्त है ।
(ग)	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है, जिसमें 'आवेदन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और एक से अधिक बार (किसी भी स्तर पर) परीक्षा में उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
(त)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए 1 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एक-बारगी पंजीकरण/ ऑनलाइन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार/ परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की सूचना के पैरा-10 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि का ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदनों को अनदेखा कर दिया जाएगा।
(थ)	सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांचना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित/अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैंक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
(द)	ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें चेहरा सामने से दृश्यमान होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा सही फोटोग्राफ अपलोड नहीं जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। स्वीकार्य/ अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-XI पर दिए गए हैं।
(ध)	आवेदन पत्र के अंत में घोषणा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। घोषणा पर सहमत होने/हस्ताक्षर करने से पहले, उम्मीदवारों को भरे गए आवेदन विवरण और घोषणा की सामग्री के माध्यम से जाना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही इस पर

सहमत/हस्ताक्षर करना चाहिए कि प्रस्तुत जानकारी सही है। किसी भी छिपाने/गलत बयानी/गलत घोषणा से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
--

अवर सचिव
कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय)

अनुबंध-1

(ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बारगी पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदनपत्र भरना

भाग-I (एकबारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण प्रपत्र' और 'आवेदन पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें ।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज़ तैयार रखें:
 - क) मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
 - ख) ई-मेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
 - ग) आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा)।
 - i. वोटर आईडी कार्ड
 - ii. पैन
 - iii. पासपोर्ट
 - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
 - v. स्कूल/कॉलेज आईडी
 - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
 - घ) मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने का बोर्ड, अनुक्रमांक और वर्ष के बारे में जानकारी ।
 - ङ) यदि आप किसी दिव्यांगता से पीड़ित हैं, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या ।

3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Login' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
 - क) मूलभूत विवरण
 - ख) अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण
 - ग) घोषणापत्र
5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:
 - क) सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
 - ख) क्रम संख्या-1: आधार संख्या / पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नंबरों में से कोई एक नंबर दिया जाना अपेक्षित है।
 - ग) क्रम संख्या-2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा कि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 2ग और 2घ में करें।
 - घ) क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है।
 - ङ) क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है।
 - च) क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है।
 - छ) क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - i. शिक्षा बोर्ड का नाम
 - ii. अनुक्रमांक
 - iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष
 - ज) क्रम संख्या-7: लिंग (महिला/पुरुष/ट्रांसजेन्डर)
 - झ) क्रम संख्या-8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)
 - ञ) क्रम संख्या-9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना

- चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट) क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड /पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ) अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड) जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर आपका डाटा सहेजा जाएगा तथा आपका पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ) आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण) अपनी पंजीकृत संख्या को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त) पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन के बाद, बदले गए पासवर्ड तथा पंजीकरण संख्या का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ) सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर, आपके द्वारा अब तक भरे गए 'मूलभूत विवरण' के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं अथवा अपना एक बारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए नीचे दिए गए 'Next' बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
- द) क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध) क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- न) क्रम संख्या-13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प) क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। दिव्यांगजन (पीडबल्यूडी) (चालन संबंधी), 40% या अधिक चालन संबंधी दिव्यांगता (एक पैर या दोनों पैर प्रभावित) : हां/ नहीं। दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
- फ) क्रम संख्या-15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

- ब) प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंटआउट लें तथा 'अंतिम सबमिट' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ) 'घोषणा' को ध्यान से पढ़ें और यदि आप घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें ।
- म) 'अंतिम सबमिट' पर क्लिक करने पर विभिन्न ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको दोनों ओटीपी में से एक ओटीपी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में दर्ज करना होगा।
- य) मूलभूत सूचनाओं को प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'मूलभूत विवरण' को बदला जा सकता है। तथापि , अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एकबारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें ।
7. आपको पुनः सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

अनुबंध-। क

एक बारगी पंजीकरण फॉर्म के स्क्रीनशॉट्स

BASIC DETAILS

NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.

1. Do you have Aadhaar ? *

Yes No

1a. Aadhaar Number

Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card

1b. Verify Aadhaar Number

1c. Type of ID *

Driving License

Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number

1d. ID Number *

BRHPK3731M

2a. Name *

SAMPLE NAME

1. Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)

2b. Verify Name *

SAMPLE NAME

2c. Have you ever changed Name?

Yes No

2d. New Name / Changed Name

3a. Father's Name *

SAMPLE FATHER NAME

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc)

3b. Verify Father's Name *

SAMPLE FATHER NAME

4a. Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Mrs/ Ms/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc)

4b. Verify Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

5a. Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

02/01/1999

Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

02/01/1999

6. Matriculation (10th Class) Examination details :

(i). Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE)

Education Board of Matriculation Examination

(ii). Verify Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE)

(iii). Roll Number *

301739

1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Only / and - are allowed . Please enter Roll number without any other special character(s)
3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

(iv). Verify Roll Number *

(v). Year of Passing *

(vi). Verify Year of Passing *

7a. Gender * Male Female Transgender

7b. Verify Gender * Male Female Transgender

8. Level of Educational Qualification *

9a. Mobile Number *

9b. Verify Mobile Number *

10a. Email ID *

10b. Verify Email ID *

* State / UT of Permanent Address *

15b. State/ UT *

15c. District *

15d. PIN Code *

16. Is Present Address same as Permanent Address? Yes No

17a. Present Address *

17b. State/ UT *

17c. District *

17d. PIN Code *

18. Contact details for other nationals

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

Previous

Take Draft Print

Final Submit

Close

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें:
 - क. हाल ही की (अर्थात परीक्षा की विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से अधिकतम तीन महीने पुरानी) जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन की गई पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ। छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ टोपी, चश्मा के बिना लगाए होनी चाहिए। धुंधली फोटो वाले आवेदन भी निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर डी जाएगी। स्वीकृत / अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध- XI में दिए गए हैं।
 - ख. जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अस्पष्ट / धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
 - ग. अर्हक शैक्षिक योग्यता का ब्योरा जैसे उत्तीर्ण करने का वर्ष, अनुक्रमांक संख्या, प्रतिशत / सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम इत्यादि।
2. अपने 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत 'Sub-Inspector in Delhi Police and Central Armed Police Forces Examination 2022' सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम सं-1 से 13 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी भी ब्योरे में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने लॉगइन स्क्रीन के बाएं हाथ के कोने में प्रदान की गई 'Modify Registration' टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।
5. क्रम संख्या-14: क्या आप ऐसी जाति से संबंध रखते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं है परंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है (ऐसे अभ्यर्थियों को दिल्ली पुलिस के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पद के लिए अनारक्षित माना जाएगा)।
6. क्रम संख्या-15: क्या आप ऐसी जाति से संबंध रखते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं है परंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्री दिल्ली सरकार द्वारा अन्य

पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है (ऐसे अभ्यर्थियों को दिल्ली पुलिस के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पद के लिए अनारक्षित माना जाएगा) ।

7. क्रम संख्या -16: यदि आप दिल्ली पुलिस के सिपाही, प्रधान सिपाही अथवा सहायक उप - निरीक्षक के पद के विभागीय अभ्यर्थी हैं तो 'Yes' का चयन करें ।
8. क्रम संख्या -17.1 से 17.2 : यदि आप दिनांक 30.08.2022 तक एनसीसी प्रमाणपत्र धारक हो जाएंगे तो 'Yes' का चयन करें और एनसीसी प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें।
9. क्रम संख्या -18.1 से 18.2 : क्या आपके पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदान कि गई डिग्री य स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्र है ? यदि 'हां' तो डिग्री / प्रमाणपत्र का ब्योरा दें ।
10. क्रम संख्या-19 : परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए।
11. क्रम संख्या-20.1 से 20.6 : यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है।
12. क्रम संख्या-21 : यदि आप दिल्ली पुलिस के उप - निरीक्षक पद के लिए भूतपूर्व सैनिकों के विशेष कोटा हेतु पात्र हैं तो 'Yes' का चयन करें । कृपया परीक्षा कि विज्ञप्ति के पैरा 3.3 का संदर्भ लें ।
13. क्रम संख्या-22.1 से 22. : यदि आप आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, आयु छूट की उपयुक्त श्रेणी का चयन करें ।
14. क्रम संख्या-23 : अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता दर्शाएं।
15. क्रम संख्या-24 : शैक्षणिक योग्यता पात्रता का विवरण दें ।
16. क्रम संख्या-25 : कृपया परीक्षा कि विज्ञप्ति के पैरा 17 देखें और तदनुसार भरें ।
17. क्रम संख्या-26, 27 तथा 28 : वर्तमान तथा स्थायी पता से संबंधित सूचना एक बारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
18. कृपया अपनी नवीनतम रंगीन (अर्थात परीक्षा की विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने अधिक पुरानी न हो) अपलोड करें, जैसाकि ऊपर क्रम संख्या 1(क) पर विनिर्दिष्ट किया गया है । धुंधली फोटो वाले आवेदन भी निरस्त कर दिया जाएगा । स्वीकृत / अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध- XI में दिए गए हैं ।
19. उपर्युक्त क्रम संख्या 1(ख) के निर्देशानुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें । धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा ।

20. क्रम संख्या-29 : अपलोड की गई फोटो परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए । यदि अपलोड की गयी फोटो परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी नहीं है तो 'Yes' पर क्लिक करें।
21. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि स्वीकार है तो "I agree" चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।
22. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। **यदि आप किसी भी प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते हैं तो 'Edit / Modify' बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपयुक्त संशोधन कर लें।** जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही भरी है तो, जानकारी का पूर्वावलोकन तथा सत्यापन करें और आवेदन जमा कर दें ।
23. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
24. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रुपये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके अथवा एसबीआई चालान तैयार करके एसबीआई की शाखा में नकद जमा किया जा सकता है।
25. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, तो इसे **'अनंतिम रूप से'** स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए । किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, आपको ऑनलाईन आवेदन से संबन्धित शिकायतों, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट देना होगा ।

Sub-Inspector in Delhi Police and Central Armed Police Forces Examination, 2022

Instructions

PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE NAME
2. New / Changed Name:	
3. Father's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE FATHER NAME
4. Mother's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE MOTHER NAME
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY): (As per the Matriculation Certificate)	02/01/1999
6. Age as on 01/01/2022:	22.11
7. Gender:	Male
8. Category:	UR
9. Nationality:	Citizen of India
10. Mark of Visible Identification:	MOLE ON RIGHT CHEEK

अनुबंध-II क (5/2)

11. Matriculation (10 th Class) Examination Board:	<input type="text" value="Central Board of Secondary Education (CBSE)"/>
12. Matriculation (10 th Class) Roll No.:	<input type="text" value="301739"/>
13. Matriculation (10 th Class) Year of Passing:	<input type="text" value="2013"/>
14. Do you belong to castes not included in Central List of OBCs but notified as OBC by the Govt of NCT of Delhi (Such candidates will be considered as OBC for Delhi Police and UR for other posts)*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
15. Do you belong to castes not included in Central List of OBCs but notified as OBC by the Govt of NCT of Delhi (Such candidates will be considered as OBC for Delhi Police and EWS for other posts)*	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
16. Are you a Departmental Candidate of Delhi Police?: *	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Please refer to the Notice of Examination, Para 15.13	
Verify whether you are a Departmental Candidate of Delhi Police?: *	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
17.1. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder?: *	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Verify whether you are a NCC Certificate holder?: *	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Please refer to the Notice of Examination, Para 12.5	

अनुबंध-II क (5/3)

17.2. Type of the NCC Certificate: *	--Please Select--
Confirm Type of NCC Certificate:	--Please Select--
18.1. Do you possess Degree/ Post Graduate Diploma awarded by Rashtriya Raksha University (RRU)? : *	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
18.2. If Yes, class obtained in Degree/ Post Graduate Diploma: *	--Please Select--
Please refer to the Notice of Examination, Para-12.6	
19. Preference of Examination Centres: *	NR-Delhi(2201) <input type="checkbox"/> NR-Alwar(2402) <input type="checkbox"/> NR-Jaipur(2405) <input type="checkbox"/>
20.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? : *	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
20.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):	
20.3. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):	
20.4. Length of Service in the Armed Forces:	
20.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM) :	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Please refer to the Notice of Examination, Para-5.8	
20.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):	

अनुबंध-II क (5/4)

21. Whether eligible for special quota as ESM for Delhi Yes No
Police :
[Please refer to the Notice of Examination, Para-3.3](#)

22.1. Whether seeking Age Relaxation? : * Yes No

22.2. If Yes, Age Relaxation code:
[Please see Para-5.2 of the Notice](#)

23. Highest Educational Qualification: *

24. Details of Qualifying Educational Qualification: *

Status	Passing Year	State/ UT of Board/ University	Name of Board/ University	Roll No	Percentage	CGPA
<input type="text" value="Passed"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="2019"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="Delhi"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="GURU GOBIND SINGH I"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="22019823"/>	<input type="text" value="69"/>	<input type="text"/>

25. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM.No.39020/1/2016-Esst.(P) dated 21/06/2016? * Yes No
[Please see Para-17 of the Notice](#)

26. Correspondence Address:

State:

District:

Pin Code:

27. Permanent Address Sample Permanent Address
State: Punjab
Pin Code: 140401
Mobile Number: 8111111111
Email: sample123@gmail.com

28. Contact Details for Other Nationals:

Photograph and Signature

Upload a photo taken on 10-May-2022
or later*

Allowed File Size: 20 KB to 50 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5
cm (height)

Choose File SamplePhot...hwithdate.jpg




Upload Signature *

Allowed File Size: 10 KB to 20 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0
cm (height)

Choose File SampleSignature.jpg



29. Whether the photograph has been taken on or after 10-May-2022?: Yes No

Declaration

1. I have read the Notice of the Examination, and accept all the Terms & Conditions of the Notice of the Examination.

2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the Notice of Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/ terminated.

3. I declare that the Photograph uploaded in Application form is not more than 3 months old.

I Agree



Try Another

ENTER TEXT

Preview

Reset

Close

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर)
_____ (रैंक)_____ (नाम)_____
(दिनांक)_____ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर
लेंगे।

स्थान:

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं, अनुक्रमांक
..... परीक्षा, 20..... के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ

एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है । मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है । इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा ।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:

कार्यमुक्ति की तिथि:

अंतिम इकाई / कोर:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:.....

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____
पुत्र/पुत्री _____ निवासी ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग*
_____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के _____ अनुसूचित
जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

@संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

@संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित ।]

@संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 _____

@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 _____

@संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

@संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

@ संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

@संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

@संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

- @संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- @संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- @संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- @ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991
- @ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
- @अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002
- @संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के माता/पिता श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/ जनजाति से संबंधित हैं जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ में रहता है ।

हस्ताक्षर _____

**पदनाम _____

स्थान _____

(कार्यालय की मुहर सहित)

दिनांक _____

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्दों का सामान्यतः वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी के स्टार्डपेंडरी मजिस्ट्रेट/ +सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।

(+प्रथम श्रेणी के स्टार्डपेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे के रैंक का न हो)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और / या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

(v) प्रशासक/ प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री _____ ग्राम/कस्बा _____ जिला/संभाग _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं ----- दिनांक -----* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

श्री/श्रीमती/कु० ----- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ----- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993, का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था(रेस), दिनांक 9 मार्च, 2004, का.स. 36033/3/2004-स्था(रेस), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और का.ज्ञा.सं. 36033/3/2013-स्था(रेस), दिनांक 27 मई 2013** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

हस्ताक्षर.....

पद.....\$

दिनांक:

मुहर

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

** समय समय पर यथा संशोधित

\$ अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची वही है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकारप्राप्त प्राधिकारियों की सूची है।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या _____

दिनांक _____

वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
पुत्र/पुत्री/पत्नी _____स्थायी निवासी _____गाँव/गली
_____डाकघर _____जिला _____

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र _____पिन कोड _____जिनकी फोटो
नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष
के लिए उनकी / उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से
कम है। उनके/ उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति
से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में
मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम.....

अभ्यर्थी अभ्यर्थी के हाल ही
का पासपोर्ट अभ्यर्थी के हाल
ही का पासपोर्ट आकार

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले

प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुमारी /श्रीमती / _____ पुत्र /पुत्री /
पत्नी _____ श्री _____, गाँव _____, तहसील/तालुका _____
जिला _____ राज्य _____ के स्थायी निवासी हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ पुत्र / पुत्री / पत्नी _____
श्री _____ ग्राम _____ तहसील / तालुका _____ जिला _____
राज्य _____ के निवासी हैं ।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

* उपर्युक्त समस्त क्षेत्र के निवासी भारत संघ के अर्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु लंबाई माप में छूट के लिए _____ (गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, सिक्किमी) माने जाते हैं ।

* वह हिमाचल प्रदेश / लेह और लद्दाख / कश्मीर घाटी / पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित हैं जिस पर भारत संघ के अर्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु लंबाई की माप में छूट के लिए विचार किया जाता है ।

* वह अनुसूचित जनजाति के / की हैं ।

हस्ताक्षर

जिला मैजिस्ट्रेट / मंडलीय मैजिस्ट्रेट / तहसीलदार

दिनांक:

स्थान:

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।

अनुबंध-IX

दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

(कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों के अनुसार, संख्या _____ रैंक _____ नाम _____ जिन्हें _____ के रैंक पर _____ को _____ में नियुक्त किया गया था, वे _____ में लगातार सेवा कर रहे हैं और तीन साल की नियमित सेवा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है। वे इस समय इस यूनिट _____ (यूनिट का नाम) में तैनात हैं। सेवा के दौरान उन्हें बड़ा दंड _____ और _____ छोटा दंड दिया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

नाम -----

कार्यालय की मुहर

अनुबंध-X

आवश्यक शैक्षिक योग्यता

शैक्षिक योग्यता	कोड
बी.ए.	05
बी.ए (ऑनर्स)	06
बी.कॉम	07
बी.कॉम (ऑनर्स)	08
बी.एससी.	09
बी. एससी (ऑनर्स)	10
बी.एड.	11
बी.एल.एल.	12
बी.ई.	13
बी.टैक.	14
ए.एम.आई.ई. (भाग क एवं भाग ख)	15
बीएससी (इंजी)	16
बीसीए	17
बीबीए	18
सेना द्वारा जारी स्नातक प्रमाणपत्र (भारतीय सेना, वायु सेना, नौसेना)	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी फ़ार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी.ए .	23
पीजी डिप्लोमा	24
एम.ए.	25
एम कॉम	26
एम एससी	27
एम.एड.	28
एल एल एम	29
एम ई	30
एम टेक	31
एम एससी (इंजी)	32
एमसीए	33
एमबीए	34
अन्य	35

अनुबंध-XI

फोटोग्राफ के नमूने

स्वीकृत फोटोग्राफ



अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने

अत्यधिक रंगीन



बहुत नजदीक



टोपी के साथ



धुंधले फोटोग्राफ



उल्टी फोटो



अत्यधिक गहरा रंग



धूप वाले चश्मे के साथ



तिरछी दृश्यमान फोटो



बहुत छोटी



चश्मे के साथ

